



सोमवार, 28 मई, 2018 : ज्येष्ठ शुक्र 14 वि. 2075

मानसिक दृढ़ता सबसे मजबूत हथियार है

## सूचना से इनकार

चुनाव आयोग की इस राय से राजनीतिक दल उत्साहित हो सकते हैं कि वे सूचना अधिकार कानून के दावरे में नहीं आते, लेकिन यह आदर्श स्थिति नहीं। इसलिए और भी नहीं, क्योंकि केंद्रीय सूचना आयोग अपने एक फैसले में यह स्पष्ट कर चुका है कि सभी राष्ट्रीय दल इस कानून के तहत आते हैं। यह टीक नहीं कि राजनीतिक दलों ने उत्तर फैसले को चुनौती भी नहीं दी और उस पर अमल करने से भी इनकार करता। यह तो एक तरह की मनमानी ही है। यदि राजनीतिक दलों को यह लगाता है कि केंद्रीय सूचना आयोग का फैसला सही नहीं था तो फिर उन्हें निश्चित प्रक्रिया के तहत यह तो इस फैसले को चुनौती देनी चाहिए थी या फिर उसके अनुरूप आवश्यक करना चाहिए था। चूंकि चुनाव आयोग की टिप्पणी केंद्रीय सूचना आयोग के विपरीत है इसलिए बेतर यह होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले का निस्तारण करे। वैसे इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि एक समय खुद सुप्रीम कोर्ट ने वही रवैया अपनाया था जो राजनीतिक दलों ने अपना रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने खुद को सूचना अधिकार कानून से बाहर रखने के लिए मुकदमेबाजी भी की थी। वह अनीवी बात है कि हर कार्ड जवाबदेही और पारदर्शिता की बातें तो करता है, लेकिन खुद इनसे बचने की पिराक में रहता है। इसी प्रवृत्ति के चलते सूचना अधिकार कानून पर्याप्त रूप से प्रभावी नहीं हो पाया रहा। अमरनाथ पर इस कानून के दावरे में आने वाली संसाधारणा मान्य जानकारी देने से भी बचती है। यही नहीं कभी-कभी तो वे सूचना पांचवें वालों को भी प्रेशन करने में लग जाती है।

राजनीतिक दल इसे अनभिज्ञ नहीं हो सकते कि सूचना अधिकार कानून प्रभावात्मक और अव्यवस्था को दूर करने में प्रभावी भूमिका निभा सकता है। कक्ष समय कई घपले-घोटाले सूचना अधिकार कानून के जरिये ही सापें आई थे। जब आवश्यकता इस बात की थी कि राजनीतिक दल और विशेष रूप से सत्ता संचालित कर रहे दल अपने आचार-व्यवहार से सूचना अधिकार कानून के प्रभावी बनने का काय करते तब उन्हें उससे अपने को पूरी तरह अलग कर लिया। सबसे खबरबाट यह है कि उन्होंने केंद्रीय सूचना आयोग के फैसले को सिरे से खारिज कर दिया। राजनीतिक दल स्वयं को सूचना अधिकार कानून से ऐर रखने के लिए चाहे जो तक दूने तक उन्हें खुदी वाली सोची गयी और फैसले को चुनौती की रखते हैं।

राजनीतिक दलों के तक, कुल फिलारक लोकतांत्रिक भूमिके और मर्यादाओं के विपरीत हैं। किसी भी लोकतांत्रिक दलों को यह शोभा नहीं देता कि वे सूचना अधिकार कानून से बचने के जतन करें। यह सही है कि राजनीतिक दलों को इसके लिए बाध्य नहीं किया जा सकता कि वे अपनी हर गतिविधि और फैसलों के पीछे के कारणों को सार्वजनिक करें, लेकिन कम से कम उन्हें अपने आय-व्यवहार के बारे में तो पूरी जानकारी ईमानदारी से देनी ही चाहिए। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि वे ऐसे कारणों को उचित भी ढारा रहे हैं। अपने आय-व्यवहार के बारे में राजनीतिक दलों का यह कहना अर्थस्त ही है कि वे अपने खातों की जानकारी आवश्यक करियाँ और विशेष रूप से खारिज कर दिया। राजनीतिक दल स्वयं को सूचना अधिकार कानून से ऐर रखने के लिए तक ही चाहते हैं।

यह सुखद है कि कई वर्षों की तरह इस बार भी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) की इंटरमीडिएट परीक्षा में छात्राओं ने मेरिट लिस्ट में अपना दबदबा बनाए रखा है। आज के दौर में लड़कियां हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं और इसकी मुख्य वजह है कि उन्होंने अपनी शिक्षा पर विशेष तौर पर फॉकस किया है। चाहे उत्तर माध्यमिक शिक्षा परिषद को पूरीकरण हो या सीआईएससीई की, छात्राओं ने अपने पर्याप्तामान से सबका ध्यान खींचा है। सीबीएसई में इस बार चुनौती के उल्लंघनों के तक, कुल फिलारक लोकतांत्रिक भूमिके और मर्यादाओं के विपरीत है। किसी भी लोकतांत्रिक दलों को यह शोभा नहीं देता कि वे सूचना अधिकार कानून से बचने के जतन करें। यह सही है कि राजनीतिक दलों को इसके लिए बाध्य नहीं किया जा सकता कि वे अपनी हर गतिविधि और फैसलों के पीछे के कारणों को सार्वजनिक करें, लेकिन कम से कम उन्हें अपने आय-व्यवहार के बारे में तो पूरी जानकारी ईमानदारी से देनी ही चाहिए। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि वे ऐसे कारणों को उचित भी ढारा रहे हैं। अपने आय-व्यवहार के बारे में राजनीतिक दलों का यह कहना अर्थस्त ही है कि वे अपने खातों की जानकारी आवश्यक करियाँ और विशेष रूप से खारिज कर दिया। राजनीतिक दल स्वयं को सूचना अधिकार कानून से ऐर रखने के लिए तक ही चाहते हैं।

**मेरिट में आने वाली छात्राओं के सपने भी बड़े हैं और इसे साकार करने के लिए जूझने का मादा भी उनमें है**

यह सुखद है कि कई वर्षों की तरह इस बार भी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) की इंटरमीडिएट परीक्षा में छात्राओं ने मेरिट लिस्ट में अपना दबदबा बनाए रखा है। आज के दौर में लड़कियां हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं और इसकी मुख्य वजह है कि उन्होंने अपनी शिक्षा पर विशेष तौर पर फॉकस किया है। चाहे उत्तर माध्यमिक शिक्षा परिषद को पूरीकरण हो या सीआईएससीई की, छात्राओं ने अपने पर्याप्तामान से सबका ध्यान खींचा है। सीबीएसई में इस बार चुनौती के उल्लंघनों के तक, कुल फिलारक लोकतांत्रिक भूमिके और मर्यादाओं के विपरीत है। किसी भी लोकतांत्रिक दलों को यह शोभा नहीं देता कि वे सूचना अधिकार कानून से बचने के जतन करें। यह सही है कि राजनीतिक दलों को इसके लिए बाध्य नहीं किया जा सकता कि वे अपनी हर गतिविधि और फैसलों के पीछे के कारणों को सार्वजनिक करें, लेकिन कम से कम उन्हें अपने आय-व्यवहार के बारे में तो पूरी जानकारी ईमानदारी से देनी ही चाहिए। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि वे ऐसे कारणों को उचित भी ढारा रहे हैं। अपने आय-व्यवहार के बारे में राजनीतिक दलों का यह कहना अर्थस्त ही है कि वे अपने खातों की जानकारी आवश्यक करियाँ और विशेष रूप से खारिज कर दिया। राजनीतिक दल स्वयं को सूचना अधिकार कानून से ऐर रखने के लिए तक ही चाहते हैं।

**मेरिट में आने वाली छात्राओं के सपने भी बड़े हैं और साकार करने के लिए जूझने का मादा भी उनमें है**

यह सुखद है कि कई वर्षों की तरह इस बार भी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) की इंटरमीडिएट परीक्षा में छात्राओं ने मेरिट लिस्ट में अपना दबदबा बनाए रखा है। आज के दौर में लड़कियां हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं और इसकी मुख्य वजह है कि उन्होंने अपनी शिक्षा पर विशेष तौर पर फॉकस किया है। चाहे उत्तर माध्यमिक शिक्षा परिषद को पूरीकरण हो या सीआईएससीई की, छात्राओं ने अपने पर्याप्तामान से सबका ध्यान खींचा है। सीबीएसई में इस बार चुनौती के उल्लंघनों के तक, कुल फिलारक लोकतांत्रिक भूमिके और मर्यादाओं के विपरीत है। किसी भी लोकतांत्रिक दलों को यह शोभा नहीं देता कि वे सूचना अधिकार कानून से बचने के जतन करें। यह सही है कि राजनीतिक दलों को इसके लिए बाध्य नहीं किया जा सकता कि वे अपनी हर गतिविधि और फैसलों के पीछे के कारणों को सार्वजनिक करें, लेकिन कम से कम उन्हें अपने आय-व्यवहार के बारे में तो पूरी जानकारी ईमानदारी से देनी ही चाहिए। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि वे ऐसे कारणों को उचित भी ढारा रहे हैं। अपने आय-व्यवहार के बारे में राजनीतिक दलों का यह कहना अर्थस्त ही है कि वे अपने खातों की जानकारी आवश्यक करियाँ और विशेष रूप से खारिज कर दिया। राजनीतिक दल स्वयं को सूचना अधिकार कानून से ऐर रखने के लिए तक ही चाहते हैं।

**कह के रहेंगे**

माधव जोशी

बुरा न मादों दोस्त! क्षेत्री भूमिका के साथ नाया किया है।

यह सुखद है कि कई वर्षों की तरह इस बार भी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) की इंटरमीडिएट परीक्षा में छात्राओं ने मेरिट लिस्ट में अपना दबदबा बनाए रखा है। आज के दौर में लड़कियां हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं और इसकी मुख्य वजह है कि उन्होंने अपनी शिक्षा पर विशेष तौर पर फॉकस किया है। चाहे उत्तर माध्यमिक शिक्षा परिषद को पूरीकरण हो या सीआईएससीई की, छात्राओं ने अपने पर्याप्तामान से सबका ध्यान खींचा है। सीबीएसई में इस बार चुनौती के उल्लंघनों के तक, कुल फिलारक लोकतांत्रिक भूमिके और मर्यादाओं के विपरीत है। किसी भी लोकतांत्रिक दलों को यह शोभा नहीं देता कि वे सूचना अधिकार कानून से बचने के जतन करें। यह सही है कि राजनीतिक दलों को इसके लिए बाध्य नहीं किया जा सकता कि वे अपनी हर गतिविधि और फैसलों के पीछे के कारणों को सार्वजनिक करें, लेकिन कम से कम उन्हें अपने आय-व्यवहार के बारे में तो पूरी जानकारी ईमानदारी से देनी ही चाहिए। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि वे ऐसे कारणों को उचित भी ढारा रहे हैं। अपने आय-व्यवहार के बारे में राजनीतिक दलों का यह कहना अर्थस्त ही है कि वे अपने खातों की जानकारी आवश्यक करियाँ और विशेष रूप से खारिज कर दिया। राजनीतिक दल स्वयं को सूचना अधिकार कानून से ऐर रखने के लिए तक ही चाहते हैं।

**जागरण जननमत**

कल का परिणाम

बुरा न मादों दोस्त! क्षेत्री भूमिका के साथ नाया किया है।

मोदी सरकार के चार साल के कार्यकाल के दौरान क्या विषयक ने अपनी भूमिका के साथ नाया किया है?

अजग का सवाल

क्या इस बार आइपीएल लोकप्रियता की रखने तक पहुंच आयी है?

अपनी राय और अधिक लोगों तक पहुंचने में अपने बाईबाल के मेंजेज वैंडोज में जाकर जिलेकर 5727 पर भेजें। Y-H-N-ही, C-कह ही सकते।

परिणाम जाग